


बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 19 फरवरी, 2018

संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-2364 /श्री प्रशांत कुमार सी एच, भा0प्र0से0(2015), अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा सदर, सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया सदर, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री प्रशांत कुमार सी एच को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए दण्डाधिकारी और संबंधित जिला के लिए उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
19.2.18  
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-2364/पटना-15, दिनांक: 19 फरवरी, 2018  
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/ राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना /मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/अपर सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01,06 एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपर्युक्त स्थानांतरण/पदस्थापन के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति प्राप्त है।

  
19.2.18  
सरकार के अवर सचिव।